राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक पः–6(25)राज–6 / 2015 /12 जयपुर, दिनांकः– 1/5/17

–ः अधिसूचना ः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(109) राजस्व–ब / 60 दिनांक 20.7.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आंवटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31.03.2018 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त , उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 1/5/17 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव